मैनेज ज्ञान श्रृंखला, संख्या 1/2020

भारत में किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से छोटे और मझौले किसानों के लिए बाजार तक पहुंच को सशक्त बनाना: मुद्दे और उसके आगे

डॉ. अभिलक्ष लिखी

MANAGE
मैनेज

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक संगठन)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, तेलंगाना, भारत.

मैनेज ज्ञान श्रृंखला, संख्या 1/2020

भारत में किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से छोटे और मझौले किसानों के लिए बाजार तक पहुंच को सशक्त बनाना: मुद्दे और उसके आगे

डॉ. अभिलक्ष लिखी

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक संगठन)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, तेलंगाना, भारत.

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज),
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, तेलंगाना, भारत की ओर से
मैनेज के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित।

© नवंबर, 2020.

लेखक के बारे में

डॉ. अभिलक्ष लिखी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे ह्यूबर्ट, एच. हम्फ्रे फेलो (फुलब्राईट कार्यक्रम) हैं और एसएआईएस, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी से अंतर्राष्ट्रीय लोक नीति में पैरास्नातक हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से डेवलपमेंट कोम्युनिकेशन में पीएचडी भी की है। उन्होंने विश्व बैंक में अल्पकालिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। हरियाणा सरकार में, उन्होंने आखिरी बार दो वर्षों के लिए प्रमुख सचिव, कृषि का कार्यभार संभाला था। संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं प्रदान करने के बाद, वर्तमान में वे भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यहां व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

सार

यह समीक्षा पत्र भारत में छोटे और मझौले किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और उन्हे सशक्त बनाने में किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) की भूमिका को चित्रित करने का प्रयास है। यह विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए एफपीसी गठन के पूर्व और बाद के प्रमुख मुद्दे जो किसानों को कृषि मूल्य श्रृंखला में उनके प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं पर केंद्रित है। इस संदर्भ में, यह समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण, गुणवत्ता मानकों, प्रौद्योगिकी का उपयोग, समावेशी और प्रभावी मूल्यांकन आवश्यकता का महत्व जैसे कारकों की गंभीरता पर बल देते हुए देश भर की सर्वोत्तम रीतियों पर भी प्रकाश डालता है। यह बैंक - एफपीसी कड़ियों को सशक्त करके क्रेडिट को और आसान बनाने की सख्त आवश्यकता की ओर भी इशारा करता है। अंत में, कहना चाहुंगा कि यह पत्र पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ कृषि उपज समूहों में सहयोग को प्रोत्साहन देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एफपीसी को अंतिम पड़ाव तक सशक्तीकरण के लिए रास्ता सुझाता है।

परिचय

भारत का 'कृषि क्षेत्र'[1] आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से देश के विशाल ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों में। यह देश के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने और निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की स्वतंत्रता के उपरांत तथा हरित क्रांति[2] की शुरुआत के बाद से, इस सेक्टर में खेत के आकार, फसल के पैटर्न और 'सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए)'[3] में इसके हिस्से में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। 'अनंतिम प्राक्कलन 2019-20 के अनुसार, यह देश के जीवीए का 17.8% है'[4]। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल कार्यबल का 54.6% अभी भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। लगभग 85% कृषि क्षेत्र छोटे और मझौले किसानों के हैं, अर्थात दो हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र (और कुछ क्षेत्रों में 'वर्षा आधारित खेती'[5] पर निर्भर है)। इन कृषि योग्य क्षेत्रों का आकार निरंतर घट रहा है, जो इन छोटे किसानों की उत्तरजीविता पर गंभीर सवाल खड़े करता है (पांडे, et.al., 2010)। इस बाधा के बावजूद, 'अनंतिम प्राक्कलन 2019-20 के अनुसार, देश के खाद्यान्न उत्पादन ने अब तक के उच्च स्तर 296.65 मिलियन टन को छू लिया है और इसने 320.48 मिलियन टन के बागवानी उत्पादन को पार कर लिया है'[6]।

कृषि 'राज्य का विषय',[7] है, फिर भी केंद्र और राज्य सरकारें संयोजन में, कृषि विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से लगे रहे हैं। इसमें देश भर में 'कृषि विपणन अवसंरचना'[8] (ग्रामीण सड़क, थोक और आवधिक बाजार आदि), 'अनुसंधान और विकास'[9] और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों तक पहुंच ('प्रत्यक्ष लाभ अंतरण'[10] और 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार'[11]) को सशक्त बनाना शामिल हैं। इसके अलावा, इंक्यूबेशन के उपयुक्त पारिस्थितिकी देखभाल ने नवीन कृषि 'स्टार्ट-अपों'[12] को अपनी जड़ें जमाने में सक्षम बनाया है।

हाल के दशकों में, कुछ महत्वपूर्ण रुझान देखे गए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन शैली और उपभोग की आदतों में बदलाव के कारण उपभोक्ता आहार में विविधता आई है। पारंपरिक प्रमुख फसलों अर्थात चावल और गेहूं से गैर-प्रमुख फसलों जैसे फलों, सब्जियों, पशुधन, जैविक और प्रसंस्कृत उत्पादों की ओर रुझान बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप, 'पोषण सुरक्षा अर्थात विविध खाद्य पदार्थों तक पहुंच'[13] के मुद्दे तेजी से केन्द्र में आए हैं। खेत से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के मार्ग में कृषि उपज का नुकसान होना, एक और चिंता का विषय

है। ऐसा नुकसान, जो '15 से 20% के बीच होता है, उसे फसल कटाई के बाद बाजारों तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है'[14]। खराब होने वाले पशुधन उत्पाद, सब्जियां और फल इस नुकसान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव एक और चिंता का विषय है। 'जलवायु स्मार्ट कृषि'[15] में अपेक्षित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जलवायु अनुकूलन और उसके प्रभाव को कम करने की रणनीतियों का समाकलन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस संबंध में, कार्बन उत्सर्जन और उससे संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए स्वच्छ अक्षय(रिन्युवेबल) ऊर्जा स्रोतों के दोहन की आवश्यकता तथा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए, 'किसानों की आय को दोगुना करने पर समिति (डीएफआई)'[16] की रिपोर्ट उन हस्तक्षेपों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है जो छोटे और मझौले किसानों तथा कृषि मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को समाप्त करती हैं।'[17] इस प्रकार की मूल्य श्रृंखला में शामिल हैं इनपुट प्रावधान/उपयोगिता, उत्पादन, फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण/भंडारण और परिवहन/विपणन/अपेक्षित निवेश के माध्यम से बिक्री। यह रिपोर्ट आगे इस श्रृंखला में ऐसे किसानों के शुद्ध लाभ में सुधार के महत्व को रेखांकित करती है, जो सामूहिक रूप से उनके एकत्रीकरण के माध्यम से लागत को कम करते हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, सबसे पहले छोटे और मझौले किसानों की 'कृषि ऋण, इनपुट, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं तक पहुंच को और सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।'[18] इसके साथ उनके बाजार प्रवेश और अर्थव्यवस्थाओं के स्तर को प्राप्त करने से जुड़े लेनदेन की लागतों में आने वाली अड़चनों को दूर करने की भी आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, विशेषज्ञों द्वारा आने वाले समय में किसानों के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा विशेष रूप से किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) में एकत्रीकरण करने हेतु सुझाव दिया गया है। (सिंह, 2013)।

इसमें, छोटे और मझौले किसान संयुक्त रूप से इनपुट संसाधनों का उपयोग करते हैं और अपनी उपज का विपणन भी करते हैं। अन्य आवश्यक पिछड़े और अग्रगामी संपर्कों जैसे ऋण और सशक्त विस्तार सेवाओं की उपलब्धता के साथ समस्त छोटे और मझौले किसानों को देश में भविष्य के कृषि विकास का आधार होना चाहिए। विशेषज्ञों का यह ज्ञान, उन्हें व्यवसाय उद्यमियों के रूप में घरेलू और वैश्विक बाजारों से प्रभावी रूप से जुड़ने के लिए सशक्त बनाएगा और परिणामस्वरूप उनकी आय कई गुना बढ़ जाएगी।

वास्तव में, ऐसे कृषि-व्यवसाय उद्यमिता की भावना की शुरुआत, भारत सरकार द्वारा 'अत्मनिर्भर भारत कृषि पैकेज' के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के मूल में है।[19] यह पैकेज छोटे और मझौले किसानों को निर्बाध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी अवसंरचनाओं के लिए धन की उपलब्धता के माध्यम से शक्तिशाली उत्पादकों में बदलने का इरादा रखता है।

समीक्षा पत्र की संरचना

उपरोक्त संदर्भ में, इस समीक्षा पत्र की संरचना इस प्रकार है। सबसे पहले, सहकारिता आंदोलन और एफपीओ के बीच तालमेल की पृष्ठभूमि में, यह विशेष रूप से भारत में छोटे और मझौले किसानों को बाजार तक पहुंच और सशक्त बनाने में एफपीसी की भूमिका को चित्रित करने का प्रयास करता है। दूसरा, यह ऐसी किसान कंपनियों और उनके आवश्यक आंकड़ों के गठन के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है। यह समय-समय पर उनका समर्थन करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण सहित भारत सरकार द्वारा घोषित दिशा-निर्देशों और योजनाओं पर भी प्रकाश डालता है। तीसरा, यह इन उत्पादक कंपनियों की संस्थापना और उनकी कार्यशैली, विशेष रूप से सुलभता से ऋण प्राप्त करने पर विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करता है। इस संदर्भ में, यह प्रमुख परिचालन संबंधी मुद्दों की खोज करते हुए देश भर के एफपीसी की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में भी जानकारी साझा करता है। अंत में, इस पत्र का निष्कर्ष है- अंतिम पड़ाव तक अभिसरण करते हुए और उत्पादक समूहों में व्याप्त विषमताओं की जानकारी प्रदान करते हुए निर्माता कंपनियों को सशक्त बनाने की ओर अग्रसर होना।

दृष्टिकोण और आंकड़ों का स्रोत

इस समीक्षा पत्र का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से विश्लेषणात्मक है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से यह भारत में एफपीसी के सदस्यों के रूप में छोटे और मझौले किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और उन्हे सशक्त बनाने के मुद्दों और चुनौतियों को हल करने का लक्ष्य रखता है। यह अध्ययन वार्षिक रिपोर्टों, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं और प्रकाशित लेखों सहित ऑनलाइन संसाधनों से प्राप्त गौण आंकड़ों पर आधारित है।

सहकारी आंदोलन और एफपीओ

इस पत्र के लिए साहित्य की समीक्षा से जानकारी मिलती है कि एफपीओ और विशेष रूप से एफपीसी पर चर्चा भारत में 'सहकारी आंदोलन'[20] के संभाषण, नीति और आचरण में अंतर्निहित है।

ब्रिटिश भारत में पहला सहकारी अधिनियम कानून वर्ष 1904 में बनाया गया था। तभी से निर्माता संगठन निर्माता सहकारी समितियों के रूप में सौ वर्षों से भी अधिक समय से मौजूद हैं। वास्तव में, 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) ग्रामीण स्तर पर पुराने निर्माता संगठनों में से एक हैं, जो छोटे और मझौले किसानों की ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। इसी तरह, अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी खाद्य उत्पाद विपणन सहकारिता बन गई। इसकी सफलता को दोहराने के लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की गई और इसने देश भर में किसान दुग्ध सहकारी समितियां बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया।'[22] इसलिए, स्वतंत्रता उपरांत, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है। (द्विवेदी, वर्ष 1996)

एफपीओ, उपरोक्त संदर्भ में, ऐसे एकत्रीकरण संस्थान हैं जिनका उद्येश्य छोटे और मझौले किसानों को इनपुट और आउटपुट दोनों बाजारों से जोड़ना है। ऐसे संगठन या तो सरकार, सहकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, ट्रस्टों अथवा वैधानिक समाजों द्वारा आरंभ किए जाते हैं। 'उनके रूप हैं - कृषि सहकारी समितियां, निर्माता कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, स्वयं-सहायता समूहों का संघ, कॉमन हित समूह, किसान हित समूह, कमोडिटी हित समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान क्लब आदि। इनके स्वरूप में सदस्यता और भौगोलिक फैलाव के संदर्भ में भिन्नता है।'[23]

मूल भूत आधार यह है कि सामान्य हितों वाले किसान उत्पादक अपने संसाधनों को संग्रह करने के लिए सहमत होते हैं और ऋण, इनपुट स्रोत, कृषि प्रौद्योगिकी की तैनाती तथा फसलोपरांत प्रबंधन संबंधित कृषि मुद्दों का संयुक्त रूप से प्रबंधन करते हैं। वे बाजार की जानकारी, अच्छी कृषि पद्धतियों, 'कमोडिटी विनिमय'[24] और 'निर्यात'[25] के प्रसार में सहभागिता भी करते हैं. इस प्रकार किसान सदस्य वित्तीय आदानों को प्राप्त करने के लिए अपनी सामूहिक और सौदेबाजी की ताकत का लाभ उठाकर लेनदेन की लागत को कम कर सकते हैं। इसी समय, वे, समान शर्तों पर, अनेकों संस्थाओं के साथ व्यापार में भागीदारी के माध्यम से उच्च मूल्य वाले बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं।'[26]

सामूहिक उत्पादन की विचारधारा

भूमि के संक्रामक भुभाग के साथ खेतों के समूहीकरण को उत्पादन विशिष्ट क्लस्टर के रूप में संचालित करने को भी एफपीओ गठन की अवधारणा के पीछे का तर्क दिया गया है। 'खेतों तक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर को लाने के लिए इस तरह का दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि कृषि इनपुटों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके, इससे खेती की समेकित देखभाल होती है तथा

उत्पादन उपरांत संभलाई के लिए खेतों के आउटपुट का एक व्यवहार्य स्तर होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपज की त्वरित निकासी और बाजार अवसरों को और अधिक बढ़ाने के लिए सामूहिक खेती से उत्पादन को अनेक मांग केंद्रों (समीप के शहरी केंद्रों सहित) से जोड़ा जाना चाहिए।'[27] इस तरह के सामूहिक उत्पादन का प्रसार गांवों, ब्लॉकों और यहां तक कि जिलों में भी हो सकता है।

कानूनी प्रावधान

जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में समझाया गया है, एफपीओ एक जेनरिक नाम है जो विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संगठनों/उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि "निर्माता कंपनी" निर्माता उद्यम का एक विशेष मामला है जो कंपनी अधिनियम 1956 (अब 2002 में संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013) की धारा IXA के अंतर्गत एक निकाय निगम के रूप में पंजीकृत है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. वाई.के. अलग के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 में भाग IXA को शामिल करके ऐसी कंपनियों की स्थापना की सिफारिश की। ऐसी निर्माता कंपनियों की मुख्य गतिविधियों में 'उत्पादन, कटाई, प्रसंस्करण, खरीद, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, विपणन, बिक्री, सदस्यों के प्राथमिक उपज का निर्यात या उनके लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आयात शामिल हैं। इसमें पारस्परिक सहायता, कल्याणकारी उपाय, वित्तीय सेवा, उत्पादकों या उनकी प्राथमिक उपज का बीमा को बढ़ावा देना भी शामिल हैं।'[28]

कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन में शामिल होने के लिए एफपीसी में केवल प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अतः, प्राथमिक उपज या उससे संबंधित किसी भी गतिविधी में सदस्यों को आवश्यक रूप से वैयक्तिक तौर पर शामिल होना चाहिए, जो इस समीक्षा पत्र के मामले में कृषि और संबद्ध गतिविधि हैं। इसके अलावा, 'प्राथमिक उत्पादक अपने सदस्यों के साथ लाभ साझा करते हैं। ऐसे उत्पादक कंपनी के शेयरधारक हैं तथा शेष लाभ व्यवसाय विस्तार के लिए संगठन के स्वामित्व वाले निधि में जमा हो जाते हैं।'29 यह कहना उचित होगा कि एफपीसी औपचारिक स्वायत्त, बहिर्मुखी संगठन हैं और उन्हें निजी कंपनियों एवं सहकारी समितियों के बीच संकर (हाईब्रिड) के रूप में माना जा सकता है (ट्रेबिन, वर्ष 2014)।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक'[30] (नाबार्ड) द्वारा एफपीओ (और एफपीसी) के डिज़ाइन वेरिएबलों और उनके गतिशील अंतर्संबंधों का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आकार, लक्ष्य, प्रौद्योगिकी, स्वामित्व तथा प्रबंधन जैसे प्रमुख वेरिएबलों की इष्टतम स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एफपीओ (और एफपीसी) एक सतत सामुदायिक

उद्यम प्रणाली के रूप में विकसित हों। इसके अलावा, यह गांवों के समूह या ग्राम पंचायत में सभी किसानों / उत्पादकों के लिए एकल खिड़की सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है।'[31] इस प्रकार, विकास के चालक के रूप में क्लस्टर (समूह) दृष्टिकोण के साथ, यह समीक्षा पत्र, विभिन्न नीतिगत वेरिएबलों के संदर्भ में, इन कंपनियों को सशक्त करने के लिए आगे का रास्ता सुझाते हुए नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययन से उठाए गए मुद्दों पर अधिक गहराई से विचार करेगा।

एफपीसी की प्रगति में शामिल एजेंसियां

पिछले कुछ वर्षों में एफपीसी को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 'लघु कृषक कृषि व्यापार संघ(एसएफएसी)'[32] और राज्य सरकारों द्वारा सहयोग दिया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक आदि भी उनका सहयोग करते रहे हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान एफपीओ (एफपीसी सहित) को बढ़ावा देने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक पायलट परियोजना आरंभ की गई थी। इसे राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में एसएफएसी के माध्यम से लागू किया गया था। इसमें शहरी क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय सब्जी पहल और वर्षा प्रभावित गांवों के लिए दलहन विकास को बढ़ावा देने जैसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की दो उप योजनाओं के अंतर्गत किसानों को एफपीओ में जुटाने का कार्य शामिल है। इसके बाद, वर्ष 2013 में मंत्रालय ने एफपीओ और एफपीसी दोनों के विजन, मिशन, लक्ष्य और कवरेज का विस्तृत विवरण देते हुए नीति और प्रक्रिया दिशानिर्देश जारी किया।'[33]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्तमान में 'ऑपरेशन ग्रीन और किसान संपदा योजना'[34] जैसी स्कीमों को लागू कर रहा है, जो प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए कृषि-लॉजिस्टिक्स सहित प्रभावी और निर्बाध बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक प्रदान करता है। यह किसानों और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, किसान उत्पादक कंपनियों को सहभागिता की सुविधा प्रदान करने के लिए है। इसी प्रकार, 'दीनदयाल अंत्योदय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)'[35], के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मूल्य श्रृंखला विकास में हस्तक्षेप किया है।

इन्हे भी किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से छोटे और मझौले किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने के लिए उठाए जाते हैं।

एफपीएस / एफपीसी पर आवश्यक आंकड़े

साहित्य की समीक्षा से एफपीओ/एफपीसी पर आवश्यक आंकड़ों के लिए अनेक स्रोतों का पता चलता है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में भारत सरकार, एसएफएसी, नाबार्ड, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों की विभिन्न पहलों के तहत गठित लगभग 5000 एफपीओ (एफपीसी सहित) देश में अस्तित्व में हैं। इनमें से लगभग 3200 एफपीओ निर्माता कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं तथा शेष सहकारी/सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं।'[36]

अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी और फिक्की के अध्ययन में दर्शाया गया है कि 'निजी संस्थानों/ट्रस्टों द्वारा सहायता प्राप्त लगभग 2000 से अधिक एफपीसी हैं, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, अंबुजा फाउंडेशन, एचडीएफसी फाउंडेशन, सिनजेंटा फाउंडेशन आदि। ये देश में लगभग 2% कृषकों को कवर करते हैं।'[37]

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि "31 मार्च, 2019 तक 4.3 मिलियन अनुमानित सदस्यों के साथ 7374 उत्पादक कंपनियां पंजीकृत हैं। इन उत्पादक कंपनियों का 92% हिस्सा कृषि आधारित है। प्रति एक लाख किसान पर एफपीसी की औसत संख्या 2.6 है, अर्थात भारत में प्रत्येक 100,000 कृषि श्रमिकों के लिए 2.6 किसान उत्पादक कंपनियां हैं। इनमें बड़े किसानों द्वारा स्व-प्रेरित एफपीसी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादक कंपनियां हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु और मध्य प्रदेश आते हैं। निर्माता कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या वाला जिला पुणे है, उसके बाद अहमदनगर और नासिक आते हैं।'[38]

ऊपरलिखित से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एफपीसी पर इस तरह के डेटा और आँकड़ों के एकल स्रोत की उपलब्धता की सख्त आवश्यकता है। और अधिक, "ई-प्लेटफॉर्म" के रूप में, विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों, पेशेवरों और विद्वानों द्वारा समान रूप से उपयोग के लिए।

एफपीसी के कार्यों का स्कोप

एफपीसी के संचालन में जबरदस्त विषमता है। आजिम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार 'एफपीसी एकल कृषि वस्तु या कई वस्तुओं के साथ कार्य कर सकते हैं। कई एफपीसी इनपुट की थोक खरीद में लगे हुए हैं, जबकि अन्य मूल्य श्रृंखला में मध्यस्थों के रूप में छोटे और मझौले किसानों से उपज संग्रह करते हैं तथा कुछ प्राथमिक प्रसंस्करण (जैसे ग्रेड देना

और छंटाई) कर रहे हैं। कुछ एफपीसी मूल्य वृद्धि के उच्च कार्यों में लगे हुए हैं जैसे फलों से गूदा या रस निकालने, सब्जियों को काटने और फ्रीज़ करने आदि। कुछ एफपीसी खाने योग्य तैयार उत्पादों / उत्पादों को पकाने और गैर-खाद्य पदार्थों जैसे वर्मी-कम्पोस्ट, मच्छर भगाने वाली गोबर के उपलों का उत्पादन कर रहे हैं।'[39]

अध्ययन में आगे कहा गया है कि 'अन्य किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए नोडल एजेंसियों का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। कुछ अन्य किसान उत्पादक या फसल बीमा कंपनियों की लाइसेंस प्राप्त एजेंसी बन गए हैं। वे थोक मंडियों, बड़े व्यापारियों, रेस्तरां, होटलों, कॉर्पोरेट थोक खरीदारों या सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेचते हैं। कुछ एफपीसी और उनके प्रमोटर व्यावसायिक गतिविधियों से ऊपर उठकर वकालत, शिक्षा और ज्ञान सृजन करते हैं।'[40]

उपरोक्त संचालन कार्यों के स्कोप से यह स्पष्ट है कि एफपीसी देश में कृषि मूल्य श्रृंखला स्पेक्ट्रम में कार्य कर रहे हैं। यह तार्किक है कि इतने लाभों के बावजूद, उन्हें अभी भी न केवल पूंजी, बुनियादी अवसंरचनाओं और बाजार लिंकेज बैकिंग की आवश्यकता है, बल्कि अपने व्यवसाय के संचालन को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। वास्तव में, एफपीसी को मार्गदर्शन करने और संभालने तथा उनके वित्तपोषण हेतु विभिन्न साधनों और प्रवर्गों के लिए इनक्यूबेटरों को संस्थापित करने की आवश्यकता है।'[41]

महत्वपूर्ण मुद्दे

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन लागत को कम करके और किसान उत्पादकों के बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से उच्च मूल्य की प्राप्ति से एफपीसी में आय को बढ़ाने की क्षमता है (मार्केलोवा et al., 2009; वैलेंटिनोव 2007)। लेकिन इस क्षमता को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण पूर्व-गठन और गठन के बाद की चुनौतियों पर ध्यान देना होगा।

गठन के पूर्व

इस तथ्य के बावजूद कि कार्यान्वयन/प्रमोशन एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, 'एक एफपीसी में एकत्रीकरण के लिए व्यापार का औचित्य आमतौर पर पहले से निर्धारित उद्देश्यों पर बनाया जाता है।'[42] कई बार यह 'कृषि-जलवायु क्षेत्रों (एग्रो-क्लाइमैटिक क्षेत्रों) के संदर्भ में पूरी तरह से पूर्व-

व्यवहार्यता अध्ययन और विशिष्ट मिशन आवश्यकताओं के अभाव में बिगड़ जाता है।'[43] इसलिए एफपीसी का विकास कार्यान्वयन/प्रमोशन एजेंसी द्वारा सावधानी से दिए गए निर्देशों पर काफी हद तक निर्भर है। इसके अलावा, कई बार, सचेत करने वाले दिशानिर्देशों के लिए राज्य सरकार के पास इनक्यूबेटरों की कमी छोटे और मझौले किसानों को आधुनिक तकनीक और फसल विकास से वंचित रखती है।

गठन के बाद

कई बार 'वित्त संबंधी साक्षरता की कमी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है।'[44] समय पर बाजार की जानकारी की उपलब्धता में अड़चनें भी हो सकती हैं। यह व्यवहार्य व्यापारिक योजनाओं की तैयारी न करने और उसके कार्यान्वयन पर सीधा असर डालता है। पेशेवर कर्मचारियों की कमी भी परवर्ती पर बाधा डालती है। इसके अलावा, 'भंडारण के लिए'[45] एक अच्छी तरह से बनाई गई पारिस्थितिकी तंत्र और प्राथमिक प्रसंस्करण अवसंरचना की कमी भी एक मुद्दा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आउटपुट मार्केटिंग का प्रमुख क्षेत्र दिन-प्रतिदिन एफपीसी का प्रबंधन और वित्त तक पहुंच पर महत्वपूर्ण अंतरनिर्भरता है। किसान आमतौर पर कुशल उत्पादक होते हैं लेकिन व्यापारिक समझदारी की कमी उन्हें फसल कटाई के बाद की प्रबंधन मूल्य श्रृंखला गतिविधियों में प्रवेश करने से रोकती है। 'कई बार, नकद अधिशेष की कमी विपणन गतिविधियों को अंजाम देने, अथवा वास्तव में थोक एवं वर्ष भर के ऑर्डरों को पूरा करने की एफपीसी की क्षमता को सीमित कर देती है। शायद ही, एफपीसी ऋण प्राप्ति के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र निष्पादन रेटिंग का कार्य लेती हैं।'[46]

अंत में, यह तर्क दिया गया है कि एफपीसी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पूरी तरह से ध्यान कृषि व्यापार संचालन के निष्पादन पर केंद्रित नहीं है। इसमें ज्ञान के क्षेत्र जैसे नेतृत्व और नेटवर्किंग, मध्यस्थता, मूल्य निर्धारण, व्यापार योजना, ब्रांड निर्माण आदि जैसे सोफ्ट और हार्ड कौशल दोनों शामिल हैं।'[47]

टाटा-कॉर्नेल कृषि और पोषण संस्थान ने अपनी 'पॉलिसी ब्रीफ 2019'[48] में उल्लिखित किया है कि एफपीओ/एफपीसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऋण प्राप्ति है क्योंकि बैंक-एफपीओ के बीच लिंकेज अच्छा नहीं है। ब्रीफ के अनुसार, प्रमुख ऋणदाता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हैं, जो अच्छी तरह से सुव्यवस्थित एफपीओ/एफपीसी को उच्च ब्याज दर पर अल्पकालिक एडवांस तथा ऋण प्रदान करते हैं।

नई कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)

इस संदर्भ में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक लाख करोड़ रुपए के निवेश से 'कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)' को स्थापित करना, इस दिशा में एक सही कदम है। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता दोनों के माध्यम से निवेश जुटाना है। इस निधि की दो नईं विशेषताएं हैं। एक, गाँव में गोदामों, आधुनिक पैकहाउसों (प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे छंटाई, सुखाने, ग्रेडिंग आदि के लिए) और कोल्ड चेन (कोल्ड स्टोरों की एकीकृत लॉजिस्टिक्स आपूर्ति जिसमें आधुनिक पैकहाउस, रेफ्रिजरेटड परिवहन और पकाने वाली इकाइयाँ शामिल हैं) जैसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फार्म-गेट अवसंरचना के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इससे किसान सीधे थोक खरीदारों, प्रसंस्करण करने वालों और उपभोक्ताओं को बिक्री कर सकेंगे। दूसरा, यह ब्याज उपबंध और ऋण गारंटी दोनो का प्रावधान भी प्रदान करता है। अंततः, इस कोष के तत्वावधान में, जो दिखाई दे रहा है, वह है पीएसी, एफपीओएस/एफपीसी, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप के वित्त पोषण के माध्यम से कृषि व्यवसाय के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, जो बदले में किसानों, विशेष रूप से छोटे और मझौले किसानों का सशक्तिकरण करेगा।

वास्तव में, इस संदर्भ में, विशेषज्ञों ने महिलाओं और युवा किसानों के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण को भी चिह्नित किया है। वे कहते हैं कि एआईएफ के माध्यम से अपेक्षित और अच्छी तरह से सुनियोजित पैन इंडिया निवेश के साथ, 'ऊपर की ओर कृषि व्यापार लॉजिस्टिक्स जैसे संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण आदि और नीचे की ओर खाद्य संबंधी सेवाओं का रोजगार सृजन करने के चैनल के रूप में का लाभ उठाया जा सकता है।'[50]

नई एफपीओ नीति दिशानिर्देश

उपरोक्त पैन इंडिया फंडिंग साधन के पूरक के रूप में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में देश भर में एक समर्पित स्कीम '10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए सेंट्रल सेक्टर योजना'[51] आरंभ की गई है। यह पांच वर्ष तक एफपीओ को आवश्यक दिशानिर्देश और समर्थन प्रदान करेगा। इसमें एसएफएसी, नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) नामक तीन कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।'[52]

नई योजना में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला, एफपीओ निर्माण के लिए एक उपज क्लस्टर क्षेत्र आवश्यक है जिसमें जैविक और प्राकृतिक कृषि शामिल हैं। इससे कृषि उत्पाद विशेषज्ञता के विकास के लिए 'एक जिला एक

उत्पाद'[53] दृष्टिकोण के साथ तालमेल स्थापित करना संभव होगा)। दूसरा, यह विशेष उद्देश्य वाले क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों की स्थापना में सहायता करता है। इस तरह की इकाइयाँ प्रवेश बिंदु पर गतिविधियों, किसानों को एकत्रित करने, व्यवहार्यता आचरण, आधारभूत सर्वेक्षणों और सबसे महत्वपूर्ण मध्यम और दीर्घकालिक विकास के लिए मुख्य व्यापार योजनाओं की तैयारी में कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करेंगी। तीसरा, मूल्य श्रृंखला प्रसंस्करण और निर्यात संस्थाएं जो क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से एफपीओ का सहयोग कर रही हैं, के लिए निधि प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध होगी। चौथा, एफपीओ को संस्थागत ऋण के त्वरित प्रवाह के लिए इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कवर की उपलब्धता है।

मौजूदा एफपीओ को भी लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी, यदि उन्होंने भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत ऐसा नहीं किया है, जैसे ऋण गारंटी फंड और राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) से सलाहकार सेवाएं प्राप्त करना। जो एफपीओ पहले से पंजीकृत हैं, लेकिन उन्हें किसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत फंड प्रदान नहीं किया गया है और उन्होंने संचालन आरंभ नहीं किया है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।

आखिरकार, यह योजना सशक्त क्षमता निर्माण हस्तक्षेप तथा केंद्र, राज्य और जिला स्तर की समितियों के साथ संपूर्ण निगरानी प्रशासन संरचना भी प्रदान करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले से इंगित डेटाबेस से संबंधित खामियों के मद्देनजर, यह एक एकीकृत और अंतर-संचालित राष्ट्रीय पोर्टल प्रदान करता है ताकि एफपीओ/एफपीसी पर प्रासंगिक डेटाबेस सभी संबंधितों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों।

सर्वोत्तम पद्धतियां

क्षेत्र में अच्छी पद्धतियों के ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां विभिन्न स्थापित संस्थाओं में पीएफसी ने इनपुट आपूर्ति और आउटपुट विपणन दोनों के लिए छोटे और मझौले किसान सदस्यों को बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। ये पद्धतियां इस समीक्षा पत्र में पहले उल्लखित कुछ महत्वपूर्ण पूर्व-गठन और बाद के गठन के मुद्दों को हल करती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे क्लस्टर दृष्टिकोण, गुणवत्ता मानकों, प्रौद्योगिकी का उपयोग, समावेश की आवश्यकता और प्रभावी आखिरी आकलन की आवश्यकता जैसे कारकों के महत्व को दोहराते हैं।

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एफपीसी के माध्यम से बागवानी फसल क्लस्टरों में प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं को अधिक बढ़ावा देने के लिए एक नए रूप से तैयार किया गया मॉडल 'फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम'[54] का

शुभारंभ किया है। इन 140 क्लस्टरों की पहचान फलों और सब्जियों की फसल के लिए राज्य भर के गांवों का सर्वेक्षण करके और उनका खाका तैयार करके किया गया है। इन समूहों के भीतर, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के लिए एकीकृत पैक हाउसों का प्रबंधन और संचालन एफपीसी द्वारा किया जाएगा। ये ऋण से जुड़े सब्सिडी वाली बैंक मूल्यांकित परियोजनाएं हैं। ई-सेवाओं के माध्यम से इनहाउस सूचना प्रौद्योगिकी लिंकेज और आउटसोर्स की गई क्लस्टर/जिला-आधारित परियोजना विस्तार प्रबंधकों की तैनाती कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। राज्य एसएफएसी द्वारा व्यापक इनक्यूबेटिंग सुविधा के साथ, दो एफपीसी अर्थात् जैविक आहार किसान उत्पादक कंपनी, झज्जर और सुरक्षित कृषि निर्माता कंपनी (सेफ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी), हिसार ने अपने संबंधित क्लस्टरों में एकीकृत पैक हाउस का संचालन आरंभ कर दिया है।

विश्व बैंक की दक्षिण एशिया कृषि और ग्रामीण विकास चर्चा नोट सीरीज़ (2020)'[55] में झारखंड राज्य के मामले पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें श्रम शक्ति कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है तथा छोटे और मझौले किसान निर्वाह के लिए वर्षा आधारित एकल फसल पद्धति अपनाते हैं। विश्व बैंक द्वारा 'जौहर परियोजना' को 2017 में आरंभ किया गया था (इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-एनआरएलएम और राज्य सरकार के कार्य के लिए बनाया गया है) जिसका लक्ष्य ग्रामीण उत्पादक परिवारों को उनके घरेलू आय में विविधता लाने और उसमें वृद्धि करने में सहायता करना था।

नोट के इस सीरीज में बताया गया है कि परियोजना ने 30 एफपीसी में से 19 का संचालन आरंभ कर दिया है, जिसमें टमाटर के फसल की उपज के बाद के प्रबंधन के लिए विपणन पहल द्वारा दो लाख परिवारों को शामिल किया गया। एफपीसी की स्थापना से किसानों की मासिक समूह बैठकों के अलावा तकनीकी सहायता एजेंसी, पद्धतियों के पैकेज, बाजार इंटेलिजेंस प्रणाली, व्यापार प्रक्रिया, संचार और विपणन योजना की शुरुआत हुई। क्रेता-विक्रेता बैठक के माध्यम से एफपीसी और बाजार नेतृत्व को एक साथ लाना एक अन्य अंतःक्षेप था। मुख्य परिणामों में प्रक्रिया चालित संग्रहण और बिक्री से तीन प्रमुख एफपीसी द्वारा अंतःक्षेप अवधि के दौरान 5.1 मिलियन रु. की 263 मिलियम टन टमाटर की बिक्री शामिल था।

जौहर परियोजना एफपीसी के कामकाज से एक महत्वपूर्ण सीख, नोट सीरीज ने यह अवलोकन किया कि छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग संबंधित सरल सिद्धांतों ने एफपीसी को थोक बाजारों में टमाटर की बिक्री के जगह बनाने में सहायता की। इससे वर्गीकृत उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

महाराष्ट्र के नासिक में 'सह्याद्रि किसान उत्पादक कंपनी'56 स्व-प्रमोटड संस्था का एक उदाहरण है, जिसने छोटे और मझौले किसानों के लिए मूल्य श्रृंखला बनाई है। यह यूरोपीय संघ, रूस और यूएई को अंगूर निर्यात करता है तथा अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से संसाधित और ताजे अंगूरों की घरेलू बिक्री भी करता है।

पार्थसारथी बिवास ने अगस्त, 2020 में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि सह्याद्रि एफपीसी के पास त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें स्वयं शीर्ष संगठन है, फसलवार एफपीसी तथा कैचमेंट क्षेत्र में किसान शामिल हैं। शीर्ष एफपीसी निर्यात और घरेलू बाजार दोनों के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण, वितरण और विपणन को संभालता है। फसलीवार एफपीसी उपज के संग्रह, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकिंग के अलावा लगभग 6000 किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

बिवास ने दिलचस्प बात यह बताया कि इसके व्यक्तिगत किसान सदस्यों के भूखंडों को जियो टैग किया जाता है ताकि कंपनी वास्तविक समय के अनुसार फसल की संवृद्धि का अपडेट रख सके जो फसल कैलेंडर की योजना को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, बार-कोड वाले पैकेट में संबंधित जानकारी को अंत:स्थापित करके फसल की स्थिति की रिमोट मॉनिटरी से किसान के उत्पादन की पूर्ण क्षमता का पता लगाना संभव हो जाता है।

4000 से अधिक महिला प्राथमिक निर्माता, पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड के पांच अन्य जिलों में 'देव भूमि प्राकृतिक उत्पाद निर्माता कंपनी'[57] के सदस्या हैं। यह सामुदायिक स्वामित्व वाला उद्यम है। इसकी मुख्य गतिविधियों में रेशम उत्पादन, जैविक शहद उत्पादन और पारिस्थितिकी-पर्यटन (इको-टूरिज्म) शामिल हैं। इसके अलावा, कीमती वाले जैविक मसाले और राज़मा, जो हिमालय क्षेत्र की हैं, को कंपनी द्वारा उगाया, संसाधित और विपणन किया जाता है। 'नाबार्ड और फ्रेंड्स ऑफ वूमेन वर्ल्ड बैंकिंग (एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी) से वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्राथमिक उत्पादकों की सहायता से दूरदराज के गांवों तक पहुंच बनाते हुए, इसकी पहचान 'समावेशी दृष्टिकोण'[58] रही है।'[59]

रिलायंस फाउंडेशन ने तेलंगाना में 'कामारेड्डी प्रोग्रेसिव फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी'60 को मेंटोरशिप प्रदान की है, जिसके पास 140 गांवों में किसान सदस्य हैं। एफपीसी ने संग्रहण और वितरण केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की है। इसने बीज उत्पादन, कृषि इनपुट और उपकरणों को किराये पर लेना तथा सूक्ष्म सिंचाई अंत:क्षेपों में भी विविधता लाई है। इसकी विशेषता इसके सदस्यों के लिए उत्पादन लागत को कम करने में निहित है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि फाउंडेशन भोजन, पोषण और पारिस्थितिक स्थिरता के मुद्दों पर जमीनी

आवश्यकताओं के मूल्यांकन (गाँव के संगठनों के माध्यम से छोटे और मझौले किसानों के बीच किए गए) से प्रभावी ढंग से जुड़ा है।'[61]

उपरोक्त अच्छी पद्धतियां और ग्रामीण इलाकों में कई और, अनेकों स्थापित संस्थाओं और एफपीसी के संचालित मॉडलों का स्नैपशॉट देते हैं। विशेषज्ञों ने दो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला यह कि 'विविध खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के कारण स्वाद और वरीयताओं के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुंरक्षा और विभेदीकरण सुनिश्चित करने के लिए ग्रेड और मानकों पर अधिक जोर दिया गया है।'[62] यह मुद्दा वास्तव में, किसान सदस्य उत्पादकों को अपेक्षित गुणवत्ता मानकों के आधार पर तेजी से बढ़ते संगठित खुदरा बाजार में खाद्य और किराने का सामान उपलब्ध कराने में एफपीसी की भूमिका के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दूसरा, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि एफएफसी की व्यवहार्यता बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह इसके संचालन मोड और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है (नई एफपीओ/एफपीसी दिशानिर्देशों और प्रभावी ऋण अदायगी, ब्याज से आर्थिक सहायता, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी तंत्र के लिए वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना)। उनका सुझाव है कि एक व्यवहार्य इकाई होने के लिए 'दो-तरफा एफपीसी प्रमोशन रणनीति होनी चाहिए: पहला- गैर-सरकारी संगठन और संसाधन संस्थान जो अच्छे जमीनी ज्ञान के साथ उत्पादक जुटाने में अच्छे हैं, द्वारा आपूर्तिकर्ता एफपीसी और दूसरा- व्यापारिक विशेषज्ञता लाने के लिए पर्याप्त पूंजी और कुशल प्रतिभा के साथ छोटी कंपनियों को बाजार में संस्थापित करना है।'[63]

आगे का रास्ता

उपरोक्त उदाहरणों के बुनियादी पहलू और उठाए गए मुद्दे हमें 'छोटे उत्पादक (किसानों) और बड़े बाजारों के बीच स्थिर संबंध बनाने के लिए एफपीसी की स्थिरता को सशक्त करने पर बुनियादी सवाल खड़ा करता है।'[64] एफपीसी की स्थिरता को विकास चालक के रूप में सफल बनाने के लिए आखिरी अभिसरण के नज़रिए से और क्लस्टर दृष्टिकोण के लिए सूचना विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

पहला मुख्य मुद्दा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, विशेष रूप से कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), जिला प्रशासन (जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों/उपायुक्तों के माध्यम से) तथा उत्पादक क्लस्टरों में पीएफसी के प्राथमिक निर्माता सदस्यों के रूप में छोटे और मझौले किसानों के बीच इंटरफेस तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्हें मिलकर बदलती

कृषि-पारिस्थितिक जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। विशेष रूप से इनपुट और प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियों की योजना बनाते समय और उन्हे संचालित करते समय जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों को गहनता से अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह की पद्धतियों में शून्य जुताई, फसल अवशेष प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित-मौसम परामर्श का उपयोग, ऊर्जा कुशल पैकहाउस संचालन आदि शामिल हैं।

केवीके/आत्मा (एटीएमए) को भी एफपीसी में स्थानीय कृषि व्यापार/उद्योग उद्यमियों और जिलों में पंचायत राज संस्थान (पीआरआई) नेताओं के सलाह का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने 'प्रायोगिक प्रदर्शन' में एक प्रमुख गतिविधि को औपचारिक रूप देने का प्रयास करना चाहिए और उपज क्लस्टरों में कार्य को बढ़ाना चाहिए। यह जिलों में बहुत से कृषि स्टार्टअपों के कार्यों और अनुभवों को छोटे और मझौले किसानों के साथ मैपिंग, समन्वयन और साझा करना है (विशेष रूप से पहाड़ी,आदिवासी और आकांक्षा वाले जिलों में, जो नीती अयोग द्वारा कम सामाजिक-आर्थिक संकेतक के रूप में चिन्हित किए गए हैं)। ये स्टार्टअप, कई एफपीसी की तरह, स्वचालित आपूर्ति श्रृंखला क्षमता को आरंभ करने के लिए नवीन तरीकों और कम लागत वाली तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं।

दूसरा, प्रशासनिक इकाइयों- गाँव, ब्लॉक और जिला (गाँवों या गाँवों के समूह के स्तर पर अधिक) के सभी स्तरों पर पीआरआई के साथ पीएफसी के संचार इंटरफ़ेस को उत्पादन क्लस्टरों में जोड़ने की आवश्यकता है। प्रशासनिक इकाइयों के सभी स्तरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल उपयोग की जबरदस्त पैठ है। इसके बावजूद, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन विभाग के क्षेत्र विस्तार अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की सभी स्तरों पर भौतिक पहुंच एफपीसी के विस्तार कार्य का समपूरक और अनुपूरक हो सकती है। इसके अलावा, एफपीसी संचालनों के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) का कुशल संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। जिलों में सीएससी आवश्यक एकल खिड़की पहुंच बिंदु हैं जो किसानों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, आवाज, डेटा सामग्री प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, पीआरआई जिसे, कानूनी रूप से विकेन्द्रीकृत संस्थानों के रूप में सशक्त किया गया है, को एफपीओ तथा विशेष रूप से एफपीसी के लिए डेटाबेस और अच्छे पद्धतियों को इनक्यूबेट करने की दिशा में कार्य करना होगा। इसमें गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा किए जा रहे एफपीसी का

कार्य भी शामिल हो सकता है। उपज क्लस्टरों में पीआरआई (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) के सभी स्तरों के भीतर इस तरह की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है, जो उन्हें फसल पूर्व और फसल के बाद की प्रबंधन कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों का जरूरी उपयुक्त यथार्थवादी मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए बाध्य है। इसके बाद, छोटे और मझौले एफपीसी के सदस्य उत्पादकों के लिए इन अंत:क्षेपों की व्यापक उपलब्धता और उनके प्रयोग को नए एफपीओ दिशानिर्देशों के तत्वावधान में और एआईएफ के माध्यम से फंडिंग की अड़चनों पर काबू पाते हुए सक्षम बनाया जा सकता है।

इस तरह के अभिसरण क्लस्टर दृष्टिकोण छोटे और मझौले किसानों, जिन्हे व्यापारिक गतिविधियों में कोई पूर्व अनुभव नहीं है, को सशक्त बनाने के लिए एफपीसी को मजबूत पारिस्थितिकी प्रदान कर सकते हैं। यह आत्म निर्भर भारत कृषि पैकेज के अंतर्गत दो ऐतिहासिक अधिनियमों जैसे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020 तथा मूल्य आश्वासन पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के देशव्यापी अधिनियमन के संदर्भ में है। उनका मार्गदर्शक सिद्धांत, जैसा कि डीएफआई समिति की रिपोर्ट में भी बताया गया है, बाजार में छोटे और मझौले किसानों के लिए कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार और उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने हेतु बाजार पहुंच का निर्माण करना है। सुषमा वासुदेवन और अपर्णा बीजापुर्कर ने, 14 अगस्त, 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में, इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सरकार को हर स्तर पर कृषि में बाज़ार-निर्माता से बाज़ार-सुविधाकर्ता तक अपनी भूमिका को बदलनें की आवश्यकता है।

अन्त्य टिप्पणी

[1] कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में चार उप क्षेत्र अर्थात् फसल क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं। उत्पादन मूल्य में इन सब सेक्टरों की हिस्सेदारी क्रमशः 61.31%, 26.80%, 7.39% और 4.50% है। बागवानी फसलें जिसमें फल और सब्जियां शामिल हैं, का योगदान 25.17% (फसल क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक) है। खेती वाली फसलों में अनाज, दालें, तिलहन, चीनी, रेशे शामिल हैं। और अधिक जानकारी के लिए किसान आय को दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट देखें, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, खंड I, अध्याय 2 (नई दिल्ली, अगस्त 2017), पृ. 26-29.

[2] भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य में फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की शुरुआत के माध्यम से आरंभ हुई। इससे पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है और भारत खाद्यान्न क्षेत्र में एक अग्रणी उत्पादक बन गया है। अधिक जानकारी के लिए देखें- बी.पी. भट्ट, जे.पी. मिश्रा, अमितव डे, ए.के. सिंह और एस. कुमार, पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांतिः मुद्दे और पहल, (बिहारः आईसीएआर, 2016), पृ.3.

[3] सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) किसी क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का एक पैमाना है। राष्ट्रीय खातों में, जीवीए आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट खपत है। इसे जनवरी 2015 में पेश किया गया था। भारतीय कृषि राज्य, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (नई दिल्लीः 2017). पृ.1.

[4] http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS%20NOTE%20PE% and %20Q4%20 estimates %20of%20GDP.pdf अंतिम बार 7 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[5] वर्षा आधारित कृषि, जो पूरी तरह से वर्षाजल पर निर्भर है देश में कुल बोये जाने वाले क्षेत्र का 55% हिस्सा है। यह छोटे और मझौले किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है और मानसून की विफलता पर सबसे अघिक प्रभावित होता है। किसानों की आय दोगुना करने, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, समिति की रिपोर्ट, खंड VI, अध्याय 2 (नई दिल्ली, नवंबर 2017), पृ.20.

[6] http://eands.dacnet.nic.in/Advance_Estimate/4th_Adv_Estimates2019-20_Eng.pdf अंतिम बार 9 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[7] भारत के संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 14 में कृषि अनुसंधान, कीटों से सुरक्षा और पौधों के रोगों की रोकथाम सहित कृषि राज्यों के पूर्वावलोकन में शामिल है। इसलिए, पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और फसल की कटाई स्पष्ट रूप से राज्य का विषय है। जब फसल कटाई के बाद उपज से निपटने की बात आती है, तो राज्यों ने भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 28- "बाजार और मेले" के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि विपणन पर एक अधिनियम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए देखें भारत का संविधान, भारत सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय। (नई दिल्ली, 2011), pp.270-272.

[8] वर्तमान विपणन प्रणाली में लगभग 2,284 विनियमित कृषि उत्पादन विपणन समितियां (एपीएमसी) शामिल हैं, जो 2339 प्रमुख बाजारों का संचालन करती हैं। इन बाजारों ने 4276 उप-बाजार यार्डों के माध्यम से अपनी पहचान बढ़ाई है। औसतन बाजार यार्ड भौगोलिक क्षेत्र के 463 वर्ग किलोमीटर या 12 किलोमीटर त्रिज्या के दायरे को कवर करते हैं। उनके स्थान और मात्रा संभालने के आधार पर उन्हें आगे प्राथमिक, माध्यमिक या टर्मिनल बाजारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य विपणन बोर्ड, एपीएमसी, पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्वामित्व तथा प्रबंधन वाले 22,932 ग्रामीण आवधिक बाजार भी हैं। अधिक जानकारी के लिए किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट देखें, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वॉल्यूम IV अध्याय 5 (नई दिल्ली, अगस्त 2017), pp.58-59.

[9] 113 अनुसंधान संस्थान/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), 77 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), जिला कमोडिटी बोर्ड में 700 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) आदि हस्तांतरणीय प्रौद्योगिकियों को बनाने में शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट देखें, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवंबर 2017, खंड XI, अध्याय 1 (नई दिल्ली, नवंबर, 2017), पृ.1.

[10] कृषि और किसान कल्याण विभाग की प्रधानमंत्री-किसान स्कीम सहित 14 स्कीमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में शामिल हैं, जिसके अंतर्गत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि भवन: नई दिल्ली p.23 और www.agricoop.nic.in लिंक पर जाएं, अंतिम बार 9 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[11] राष्ट्रीय कृषि बाजार एक आभासी बाजार है लेकिन इसके पार्श्व में एक भौतिक बाजार है। इसलिए, किसानों/विक्रेताओं का वन-टाइम पंजीकरण, प्रवेश द्वार पर बहुत सारे विवरण, वजन, गुणवत्ता निर्धारण, नीलामी, भुगतान ऑनलाइन होता है, वास्तविक भौतिक प्रवाह विनियमित बाजार में होगा। अधिक जानकारी के लिए देखें राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देने के लिए संचालन दिशानिर्देश (नई दिल्ली: सितंबर, 2016) p.1.

[12] भारत में लगभग 450 एग्री-टेक स्टार्ट-अप हैं, जो बाजार लिंकेज, इनपुट के लिए डिजिटल एक्सेस, वित्त व्यवस्था आदि प्रदान करते हैं, जैसे निंजाकार्ट, क्रॉफर्म, क्रॉपिन, एग्नेक्स्ट, एग्रोस्टार, खेतीनेक्स्ट इत्यादि। भारत में एग्रीटेक के लिए नैसकॉम रिपोर्ट, 2019.

https: // community.nasscom.in/download.php?file=wp-content/uploads/attachment/ 18174agritech-in-india---emerging-trends-in-2019.pdf अंतिम बार 10 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[13] प्रभु पिंगली, अनका अय्यर, मैथ्यू अब्राहम, एंडलीब रहमान, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉर ए राइजिंग इंडिया, (स्विट्जरलैंड, पालग्रेव मैकमिलन, 2019). p.194.

[14] उत्पादन उपरांत गतिविधियों के स्तंभों में शामिल हैं: बाजार विस्तार और पहुँच (बहु बाजार पहुंच/बिक्री के अधिक विकल्प और मात्रा) वेस्टेज कम करना (कृषि उपज की मात्रा को बढ़ाना जिससे लाभ होता है) कृषि-लॉजिस्टिक्स का उन्नयन करना (गोदामों में इंवेंट्री प्रबंधन में सुधार, फसल कटाई के बाद की देखभाल, भौतिक संपर्क का सशक्तिकरण) सुधार और निवेश को सक्षम बनाना (उत्पादन के लिए एकीकृत बाजार, ऑनलाइन विपणन चैनल), निर्यात के लिए व्यापार व्यवस्था को सक्षम करना (क्वारंटाइन स्टेशनों पर व्यापार में सुगमता)। सबसे महत्वपूर्ण है परिवहन, ग्रेडिंग के लिए एकीकृत पैकहाउस, छंटाई, फार्मगेट गोदाम क्षमता के साथ खाद्यान हानि को कम करने के लिए कोल्ड चेन। किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार वॉल्यूम III, अध्याय 2, (नई दिल्ली, अगस्त, 2017) pp.20-41.

[15] तापमान को गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सहित ग्रीन हाउस गैसें योगदान करती हैं। तापमान और फसल प्रतिरोधी फसल तकनीकें समय की आवश्यकता हैं। Op.Cite; प्रभु पिंगली, p.247.

[16] किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 2017 और सितंबर 2018 के बीच XIV वॉल्यूम में जमा की गई है। अधिक जानकारी के लिए http://agricoop.nic.in/ doubling-farmers लिंक पर जाएं, अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[17] एक कृषक मूल्य श्रृंखला में प्राथमिक कार्य के रूप में इनपुट खरीद (इनबाउंड लॉजिस्टिक्स), बुवाई, जुताई एवं फसल पैदावार और खेत में फसल की देख-भाल (उत्पादन), फसल की कटाई तथा उपज को स्थानीय बाजार तक ले जाना (आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स) व प्राथमिक बिक्री (विपणन) शामिल हैं। इस मूल्य श्रृंखला में सहायक गतिविधियाँ हैं, प्राथमिक

गतिविधियों में औजारों, उपस्कर और श्रमशक्ति की व्यवस्था और प्रबंधन (खेती, निराई आदि के लिए श्रमशक्ति तैनात करना) करना शामिल हैं। किसान फसलों को स्थानांतरित कर सकता है, किसी अन्य फर्म, संग्रहकर्ता, ट्रांसपोर्टर, थोक व्यापारी या प्रसंस्करण करने वाले के साथ लेन-देन कर सकता है (यदि एकल पूंजी या प्रबंधन के अधीन नहीं हैं तो वे एक अलग मूल्य श्रृंखला हैं, लेकिन बड़े मूल्य प्रणाली का एक हिस्सा है जो प्राथमिक उत्पादन से उपभोग के अंतिम बिंदु तक मूल्य का निर्देशन करता है)। किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वॉल्यूम III, अध्याय 3, (नई दिल्ली, अगस्त, 2017) p.44.

[18] केवीके और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के साथ मिलकर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां (आत्मा) किसानों तक पहुंचने की एक मजबूत विस्तार प्रणाली प्रदान करती हैं। किसानों की आय दोगुना करने पर समिति की रिपोर्ट, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वॉल्यूम XIII, अध्याय 10 और 11 (नई दिल्ली, जनवरी 2018) pp.93-99.

[19] कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से संबंधित प्रमुख घोषणाओं में 1 लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि, 500 रु. मधुमक्खी पालन मिशन, प्रायोजकों और किसानों के बीच बाधा मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार और मूल्य एवं गुणवत्ता आश्वासन समझौते के लिए केंद्रीय कानून। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624104 लिंक देखें। अंतिम बार 12 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[20] सहकारिता को आम तौर पर ऐसे व्यक्तियों के स्वायत्त संघ के रूप में देखा जाता है जो अपनी आम सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं और / या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। भारत में, सहकारी समितियाँ केंद्र या राज्य सरकार के विधायी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें- करतार सिंह और आर.एस. पुंडीर भारत में सहकारिता एवं ग्रामीण विकास (आनंद, आईआरएमए, 2000). p.5.

[21] अमर के.जे.आर. नायक, 'ग्रामीण भारत परिप्रेक्ष्य' में छोटे धारक किसानों की स्थिरता के लिए किसान उत्पादक संगठनों को डिजाइन करना, नाबार्ड (नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड प्रेस, 2018). p.100.

[22] रोहित देशपांडे, तरुण खन्ना, नम्रता अरोरा, तान्या बिजलानी, इंडियाज अमूल: कीपिंग अप द टाइम्स, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल (जून 2017) (9-516-116). p.1-2.

[23] विस्तार डाइजेस्ट, किसान उत्पादक कंपनियाँ - मुद्दे और चुनौतियाँ, मैनेज, वॉल्यूम 1. सं.3. (हैदराबाद: जून, 2018). p.1-2.

[24] किसान भौतिक या हाजिर बाजार के अलावा वायदा बाजारों में भाग लेते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में किसानों को उनके मूल्य जोखिम को कम करने और उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक आधुनिक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के एक कुशल माध्यम के रूप में सेवा प्रदान करने की क्षमता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज बाजार की दक्षता में सुधार करने में मदद करते हैं और लेनदेन की लागत को कम करते हुए कमोडिटी आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाजार पहुंच को व्यापक बनाते हैं। विजय कुमार, छोटे किसानों को बाज़ार तक पहुंचाना, भारतीय कृषि पुस्तिका, द हिंदू बिजनेस लाइन, (2020). p.137.

[25] कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक निर्यात को दोगुना कर 60 बिलियन अमरीकी डालर करना है और निर्यातोन्मुख विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन वाले क्लस्टरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। अधिक जानकारी के लिए देखें एपीईडीए(अपेदा), कृषि निर्यात नीति, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (नई दिल्ली). p.4.

[26] Op. Cite; विस्तार डाइजेस्ट, मैनेज. p.2.

[27] किसानों की आय दोगुना करना पर समिति की रिपोर्ट, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वॉल्यूम IV, अध्याय 3 (नई दिल्ली, अगस्त 2017) p.75.

[28] Op. Cite; विस्तार डाइजेस्ट, मैनेज. p.5.

[29] फिक्की: अर्न्स्ट एंड यंग, भारत में एफपीओ के सशक्तीकरण द्वारा समावेशी कृषि विकास, (अगस्त 2019). p.9.

[30] नाबार्ड एक शीर्ष एजेंसी है जो एफपीओ के मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और बाजार अंत:क्षेप के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृपया देखें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ, मैनेज (हैदराबाद: 2019). p.11.

[31] Op. Cite: अमर के.जे.आर. नायक. p.99.

[32] कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमोट किया गया एसएफएसी एक स्वायत्त समाज है जो कृषि व्यवसाय के लिए केंद्र की योजनाओं को लागू करता है और छोटे और मझौले किसानों को एफपीओ/एफपीसी के रूप में एकत्रित करता है। Ibid; □.11.

[33] किसान उत्पादक संगठनों, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए नीति और प्रक्रिया दिशानिर्देश। (2013).

[34] https://mofpi.nic.in/Schemes/about-pmksy-scheme अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया.

[35] https://aajeevika.gov.in/en/content/welcome-deendayal-antyodaya-yojana-nrlm अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया.

[36] Op. Cite; मैनेज,2019. p.15.

[37] Op. Cite; फिक्की: अर्न्स्ट एंड यंग. p.15.

[38] ऋचा गोविल, अन्नपूर्णा नेति, मधुश्री राव, किसान उत्पादक कंपनियां-अतीत, वर्तमान, भविष्य, (आजिम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बैंगलोर, 2020). pp.37-48.

[39] Ibid. p.18-19.

[40] Ibid. p.18-19.

[41] एस.पी. सुबाष, विनायक निकम, जय ओझा, भारत में किसान उत्पादक कंपनियां: ट्रेंड्स, पैटर्न, निष्पादन तथा आगे की ओर अग्रसर, आईएसएई द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया पत्र (2019). p.14.

[42] Ibid; फिक्की: अर्न्स्ट एंड यंग. p.25.

[43] कृषि जलवायु कारकों जैसे मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और जल संसाधनों के आधार पर देश को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।. अधिक जानकारी के लिए कृपया https://krishi.icar.gov.in/jspui/bitstream/123456789/1870/1/Agro-climatic%20region लिंक पर जाएँ। अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया.

[44] Op. Cite; फिक्की: अर्न्स्ट एंड यंग. p.25.

[45] गोदाम प्रणाली में भंडारण कृषि विपणन के लिए एक आवश्यक साधन है। देश में ई-गोदाम रसीद की प्रणाली है, जिसमें किसानों द्वारा पंजीकृत गोदाम में भंडारण करने पर उन्हे एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी की जाती है, जो प्रतिफल (डेरीवेटिव) के रूप में कार्य करता है तथा उससे कारोबार किया जा सकता है और तत्काल नकदी की आवश्यकता के लिए बैंकों के पास जमानत के तौर पर रखा जा सकता है। Op. Cite; प्रभु पिंगली. p.204.

[46] Ibid; फिक्की: अर्न्स्ट एंड यंग. p.25.

[47] Ibid; फिक्की: अन्स्ट एंड यंग. p.29-30.

[48] TCI-TARINA निति सार सं..13, टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन, (अगस्त 2019). p.3.

[49] http://agricoop.nic.in/sites/default/files/FINAL%20Scheme%20Guidelines%2AIF.pdf अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[50] Op.Cite; प्रभु पिंगली. p.6.

[51] http://agricoop.nic.in/sites/default/filesOperational%2Guidelines%2for%2Formation%20and%20Promotion%20of%2Farmer%20Producer%2Organizations%20%28FPOs% 29-English.pdflast 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया.

[52] वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निगम के रूप में एनसीडीसी की स्थापना की गई थी। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.ncdc.in/ लिंक पर जाएं। अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[53] वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि बेहतर विपणन और सहयोग के लिए यह उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव है जो क्लस्टर आधार को अपनाते हुए 'एक जिला एक उत्पाद' पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://pib.gov.in/ PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1601474 लिंक पर जाएं। अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[54] http://www.sfacharyana.org.in/ अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[55] परेश सेठी और बिपिन बिहारी, झारखंड में लाभ प्राप्ति के लिए किसान उत्पादक कंपनियों को बाजार आधारित उत्पादन प्रणालियों बदलना, (वर्ल्ड बैंक समूह: 2020). p.7-12.

[56] http://www.sahyadrifarms.com/ अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[57] https://devbhumi.com/ अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[58] छोटे और मझौले किसानों को कृषि मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक समावेशी संपर्कों की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें सिओभान केली, नटैला वेरगाना, हेयका बम्मन्न, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के दस्तावेज़ समावेशी व्यापार मॉडल के लिए दिशानिर्देश। (रोम, 2015). p.ix.

[59] Op. Cite; मैनेज. pp.19-20.

[60] https://www.outlookindia.com/newsscroll/fpo-in-telanganas-kamareddy-bringing growers-out-of-farm-distress/1466392 अंतिम बार 11 सितंबर, 2020 को एक्सेस किया गया।

[61] Op. Cite; एफसीसीआई: अन्स्ट एंड यंग. p.32.

[62] वर्ष 2017 में भारत के खुदरा क्षेत्र का मूल्य 641 बिलियन अमरीकी डालर था। इस हिस्से में खाद्यान और किराने की खुदरा बिक्री का भाग लगभग 380 बिलियन अमरीकी डालर था। संगठित रिटेल जैसे डी मार्ट, बिग बाज़ार आदि के साथ-साथ ई-रिटेल की वृद्धि जैसे बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट आदि में उच्च स्तर की वृद्धि होने की उम्मीद है। Op. Cite; प्रभु पिंगली pp.193-194.

[63] Op. Cite; ऋचा गोविल, अन्नपूर्णा नेति, मधुश्री राव. p.92.

[64] Op. Cite; नाबार्ड: ऑक्सफोर्ड प्रेस, 2018. p.103.

संदर्भ

अलघ, वाई.के. सामाजिक उद्यम आयोजन। किसान उत्पादक संगठन, नाबार्ड, के इष्टतम डिजाइन पर राष्ट्रीय गोलमेज चर्चाएँ, अध्यक्षता (जेवियर विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, 2015).

अलघ, वाई.के. सतत सामुदायिक प्रणाली के लिए ट्रांसीज़न रणनीतियों की-किसान कंपनी, द्वारा नायक अमर (स्प्रिंगर, 2019).

बिरथल, पी.एस., जोशी, पी.के., और गुलाटी, ए. उच्च मूल्य की वस्तुओं में वर्टिकल समन्वय: छोटे धारकों के लिए निहितार्थ। (वाशिंगटन, डीसी: आईएफआरआई, 2005.

गोविल, ऋचा. कृषि आजीविका: पुन: कल्पना की आवश्यकता। भारतीय राज्यों में आजीविका रिपोर्ट 2018 में, ed. By नरसिम्हन श्रीनिवासन। (एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, 2018).

भारत सरकार का कंपनी अधिनियम 2013. कानून और न्याय मंत्रालय, (भारत सरकार, 2013).

कांतिकर, ए. द लॉजिक ऑफ फार्मर एंटरप्राइज। समसामयिक प्रकाशन 17, (आईआरएमए, आनंद, 2016).

कुमार शर्मा, जी. उत्पादक कंपनियां: उत्पादकों को बेहतर तरीके से व्यापार करने की सुविधा प्रदान देना। (नेटवर्क. आनंद. ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आईआरएमए 2008).

मोंडल, ए. किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी): संकल्पना, अभ्यास और शिक्षण: सामाजिक उन्नति पर एक केस स्टडी। फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, 42 (7): 29-33 (2010).

नाबार्ड. वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 (2018).

सिंह. सुखपाल, और सिंह, तरुणवीर. भारत में निर्माता कंपनियां: संगठन और उसके निष्पादन का अध्ययन। (आईआईएम अहमदाबाद, कृषि प्रबंधन केंद्र, पब्लिकेशन संख्या 245, 2013).

शाह, टी. कैटालाइजिंग सहयोग: स्व-शासी संगठनों के डिजाइन, (नई दिल्ली: सेज़ प्रकाशन, 1996).

टंडन, इन्द्राक्षी. भारत के कृषि फ्रंटियर पर किसान उत्पादक कंपनियों का जेंडरिंग: सशक्तिकरण या बोझ? जोसेफ. एस द्वारा कमोडिटी फ्रंटियर्स एंड ग्लोबल कैपिटलिस्ट विस्तार (ed). (पालग्रेव मैकमिलन, 2019).

ट्रेबिन, ए और हस्लर, एम. भारत में किसान उत्पादक कंपनियां: सामूहिक कार्रवाई के लिए एक नई अवधारणा? (पर्यावरण और योजना A 44, 2012).

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक संगठन)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत.